कृत्रिम चट्टानों में अत्यावश्यक रूप से क्या करें या क्या न करें

जो के किषकूडन, शोभा जो किषकूडन और रम्या एल

तटीय समुद्र में कृत्रिम चट्टानों का सफल कार्यान्वयन, मात्स्यिकी प्रबंधन तथा उपयोगिता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर हैं–

1. उचित प्रकार का स्थान चयन और हितधारकों का करार
2. अच्छी प्रबलता और स्थायित्व से निर्मित मॉड्यूल
3. हितधारकों की सहभागिता, उत्तरदायित्व का साझा और स्वामित्व की अभिवृत्ति
4. अनुरक्षण के लिए लगातार बंद,नेताओं और ए आर एस सी सदस्यों के पास दौरा और चर्चाएं
5. पर्याप्त पुनरीक्षण के बाद कृत्रिम चट्टान क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार लगातार विस्तार एवं वृद्धि

पालन की जाने वाली आवश्यक गतिविधियाँ (करें)

a. दैनिक मछली पकड़ तथा राजस्व पर दैनिक लॉग प्रविष्टियों पर रिपोर्टिंग एवं अनुरक्षण
b. उत्तरदायित्वपूर्ण एजेंसियों से मौसम तथा मछली पकड़ के पूर्वानुमानों का अनुसरण करना
c. मत्स्यन अवधि की चार्ट तथा कृत्रिम चट्टान स्थानों और क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक कैलंडर का नियमित अद्यतन तथा अनुरक्षण।
d. छोटे गाँवों और आसपास के मत्स्यन गाँवों के सभी मछुआरों के साथ कृत्रिम चट्टानों के निर्देशांकों का साझा करना।
e. समान रूप से स्वीकृत कृत्रिम चट्टानों का नामकरण– जो याद करने, तुलना करने तथा डेटा रिकोर्डिंग के लिए सुविधाजनक होता है।
f. कृत्रिम चट्टान स्थानों के विकास और मुद्दों के बारे में ए आर एस सी सदस्यों तथा मछुआरा सदस्यों को सूचित करना।
g. असमान या आकस्मिक रूप से जाल फँस जाना या रीफ संरचनाओं में हानि होने पर ए आर एस सी के ध्यान में लाना।
h. स्थापना के बाद हर तीन साल में किसी भी एजेंसी के साथ या अपनी तरफ से क्रत्रिम चट्टान क्षेत्रों का विस्तार तथा अनुपूरण।
i. मात्स्यिकी में प्रवेश होने वाली मछली समूहों के दर्शन, अंडजनन तथा मौसमों का निरीक्षण एवं रिकार्डिंग।
j. निश्चित अवधि के लिए रीफ मत्स्यन बंद करना तथा इन क्षेत्रों में कुछ अंतरालों के लिए मत्स्यन न करना।
k. कांटा डोर तथा सर्फस जिग (surface jig) का उपयोग और जीवित चारा संकलन को बढ़ावा देना।
l. मछुआरा समुदायों में स्कूबा के लिए तत्पर लोगों को प्रोत्साहन देना तथा उनके द्वारा चट्टानों का संरक्षण करना तथा इको–पर्यटन के लिए प्रोत्साहन देना।
m. संसाधनों तथा आवासों के प्रति सम्बद्धता और स्वामित्व मनोभाव को प्रोत्साहन देना।

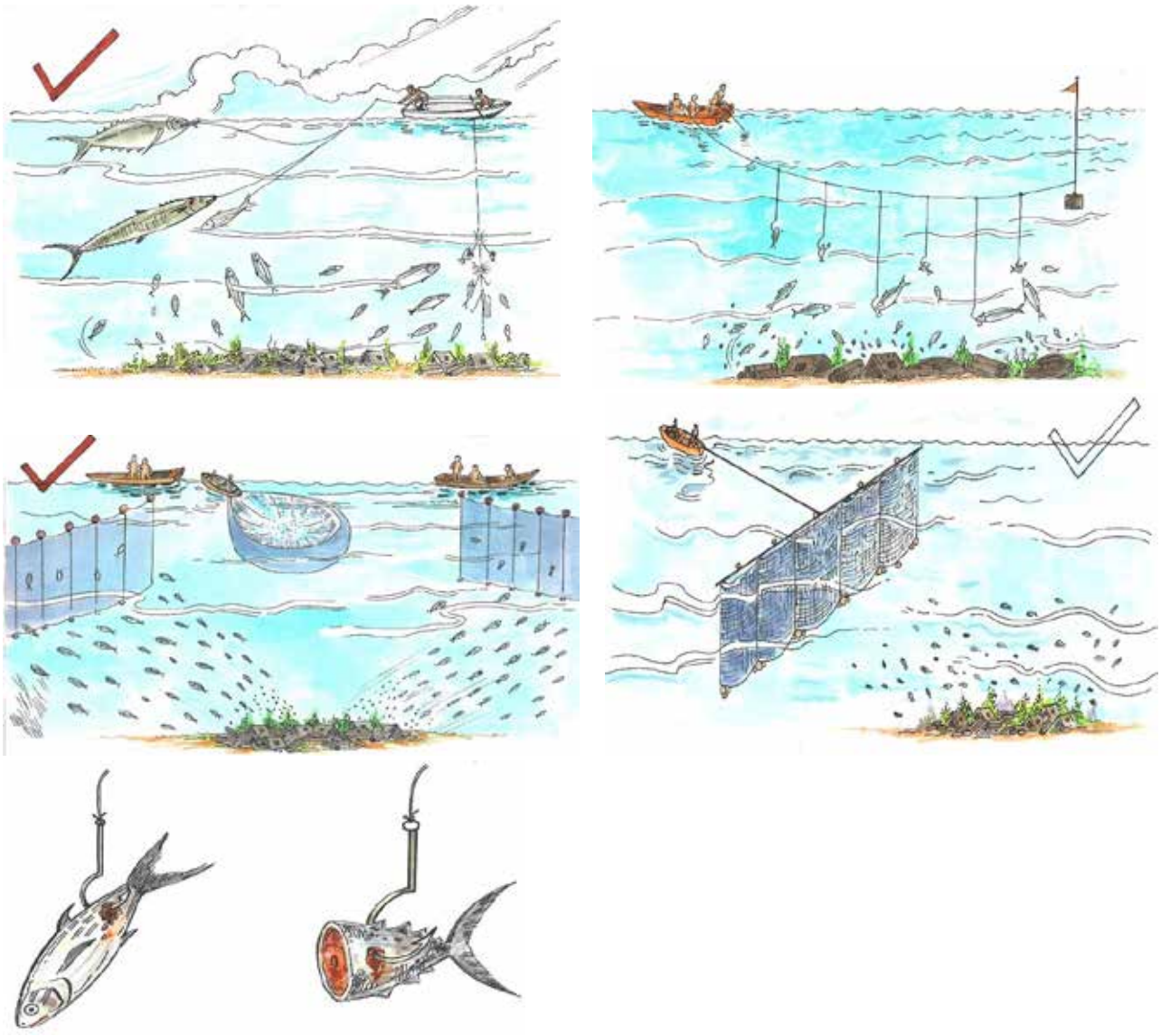

चित्र 67. कृत्रिम चट्टानों पर परिचालित किए जाने वाले सबसे अच्छे गिअर कांटा डोर, चारा युक्त लाइन और आनाय लाइन हैं, और धाराओं की दिशा और परिचालन गहराई के आधार पर ड्रिफ्ट गिल जाल–सर्फस गिल जाल और छोटे बैग नेट हैं। चट्टान स्थानों पर जीवित चारा की उपलब्धता के कारण मृत मछलियों और मांस पर निर्भरता कम है।

चित्र 68. चट्टान संरचनाओं की पूजा और चट्टान स्थानों का नामकरण/अंकन नियमित रूप से देखा गया है, जो उनकी आजीविका में मछली आवासों की पुनःस्थापना के महत्व को दर्शाता है।

चित्र 69. कृत्रिम चट्टान स्थानों का नियमित अनुरक्षण आवश्यक है, अब मछुआरों, ए आर एस सी और उप–समितियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से कार्यविधियाँ शुरू की है और अद्यतन करना शुरू किया है।

n. प्रजनक/अंडजनन/बीज रैंचन कार्यक्रमों, गोस्ट नेट (हीवेज दमज) की सफाई, इको– पर्यटन तथा पुनर्स्थापन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए सी एस आर समर्थित निधियों को आमंत्रित करते हुए मछुआरों के स्तर पर परियोजना आधारित कार्यक्रमों को विकसित करना।

o. तटीय समुद्र सफाई जागरूकता कार्यक्रमों एवं टिकाऊपन कैम्पों को आयोजित करना।

p. अपराधियों को दंड देना और उसका विवरण किताबों में दर्ज करने के लिए प्रणाली तैयार करना।

q. किसी भी अप्रिय घटना और जानबूझकर या आकस्मिक, कृत्रिम चट्टानों के क्षेत्र पर अवैध या गैर–अनुमोदित गियर के संचालन को लॉग बुक में दर्ज करना और ए आर एस सी समिति द्वारा बनाए गए रजिस्टरों में दर्ज करना, जिसे फिर

मछुआरों के नेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और आगे, उनकी सहमति से, कार्रवाई के लिए विभाग के अधिकारियों को भेजा जा सकता है।

r. क्षेत्र में रीफ मात्स्यिकी के उचित प्रबंधन एवं सही देखभाल के लिए द्वैमासिक आधार पर गाँव या उचित परिचालक मछुआरे को पुरस्कृत करना।

गतिविधियाँ, जिनसे सख्ती से बचना है (न करें)

1. कृत्रिम चट्टानों पर छोड़े गए वाहनों और पदार्थों को जमा करने की अनुमति न दें।
2. कृत्रिम चट्टानों पर बॉटम–सेट गियर – गिल जाल, ट्रैमेल जाल, आनाय जाल, ड्रज, अधस्तलीय संपाश और विस्फोटकों का उपयोग न करें।
3. कृत्रिम चट्टानों के क्षेत्र के पास निर्धारित कारीगर मत्स्यन की सीमा में अधस्तल आनायकों को परिचालन करने की अनुमति न दें।
4. इस क्षेत्र में उपरोक्त जालों का उपयोग बंद करें तथा मत्स्यन क्षेत्रों में हानिकारक गिअरों का उपयोग क्रमिक रूप से कम करना।

चित्र 70. समुद्र तल पर अवांछित या रद्दी माल को छोड़ने या जमा करने की प्रथा परंपरा के विरुद्ध है और ऐसी प्रवृत्तियों को बंद करना चाहिए

5. कृत्रिम चट्टानों के क्षेत्र में पुराने या फटे हुए जालों को मत फेंकना।
6. मछली पकड़ते समय रीफ मछलियों को आकर्षित करने के लिए प्रकाश का उपयोग न करें जोकि अतिविदोहन का कारण हो सकता है।
7. अगर लक्षित प्रजाति किशोर या रिक्रूट की अवस्था में हो, तो जाल का परिचालन न करें।

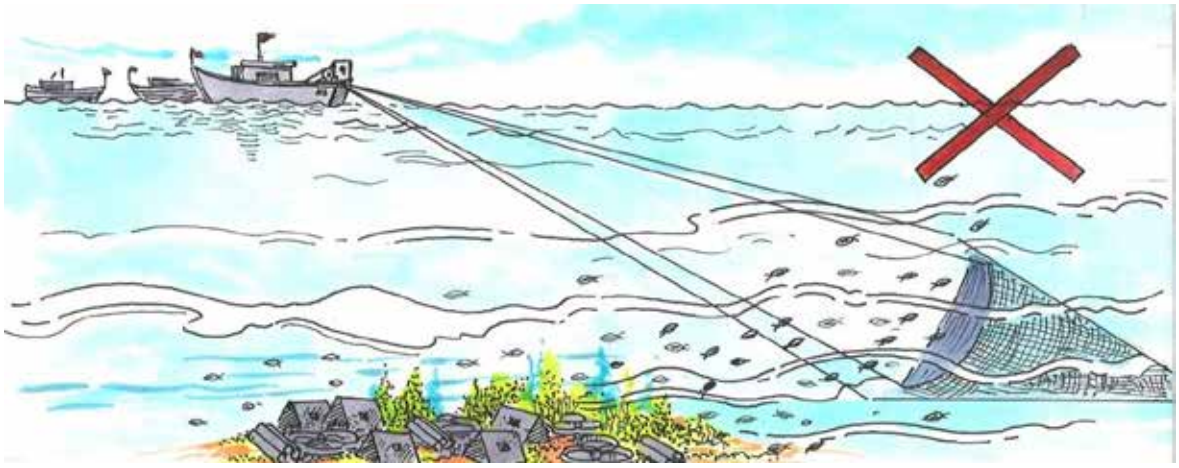

चित्र 71. कृत्रिम चट्टान स्थानों पर बोटम ड्रेड्जिंग गिअरों का परिचालन नहीं करना चाहिए

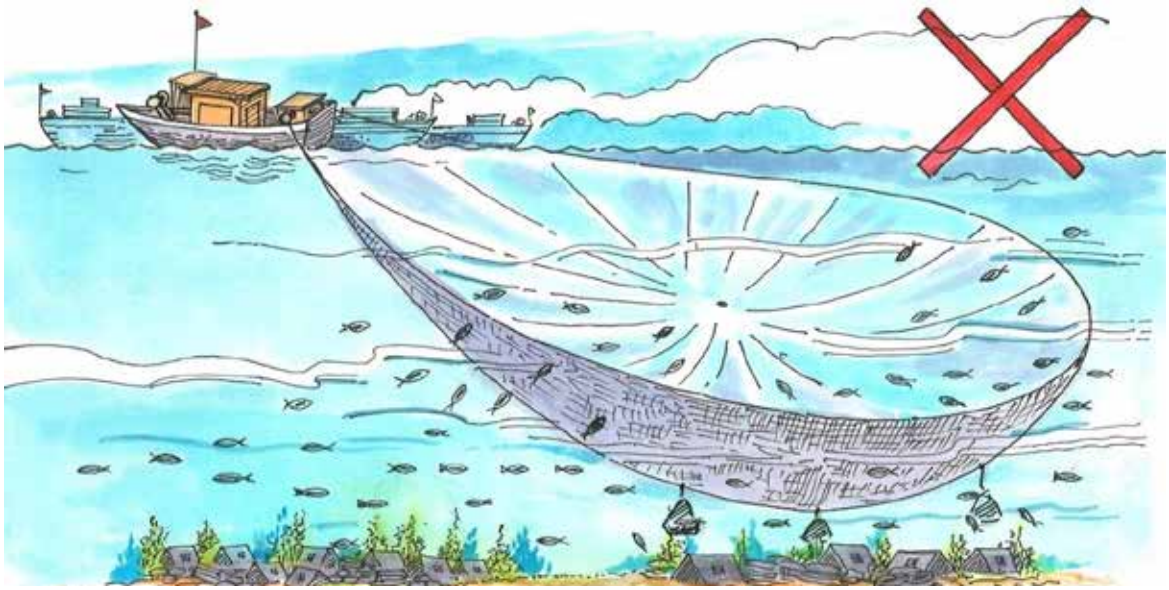

चित्र 72. कृत्रिम चट्टान स्थानों पर विस्तृत निचला भाग और खींचने लायक बड़े बैग नेटों और संपाशों का परिचालन नहीं करना चाहिए

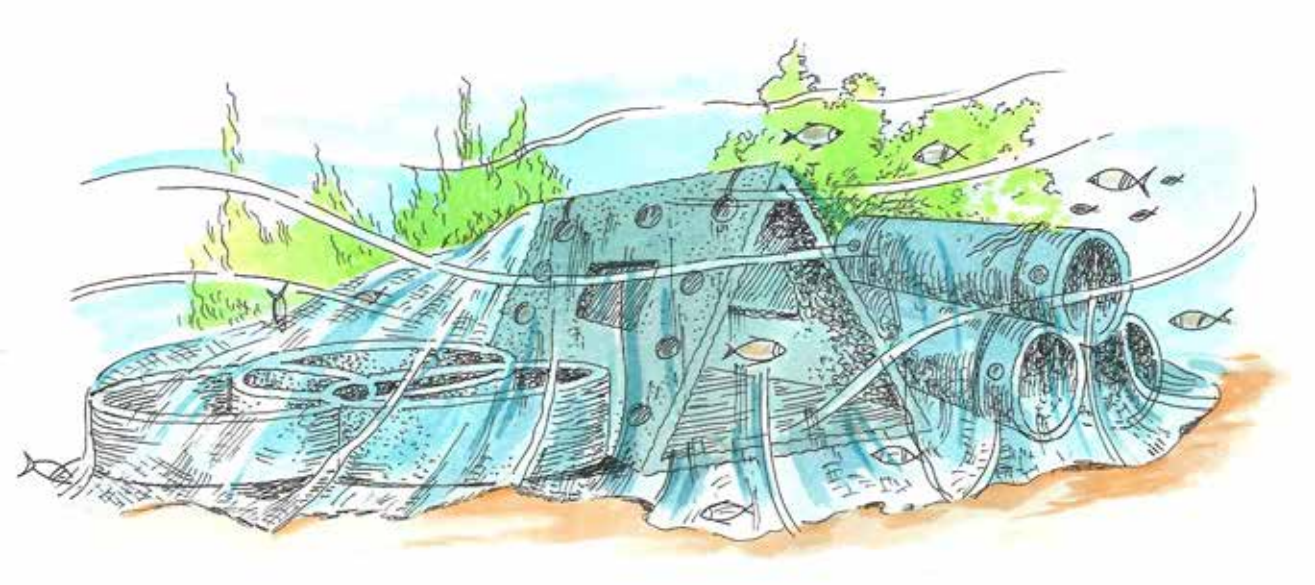

चित्र 73. बोटम सेट गिल जाल, ट्रैमल जाल और ट्रैप जाल और ड्रिफ्ट गिल जाल कृत्रिम चट्टान के जीवों के लिए बहुत हानिकारक हैं और पर्यावरण को खराब कर देंगे

8. अंडशावकों को जानबूझकर नहीं पकड़ना चाहिए।
9. गोस्ट नेट का स्थायी रूप से विरूपित न करें और चट्टानों के जीवों को नुकसान न पहुँचाए।
10. लंगरों और भारी वस्तुओं से चट्टान क्षेत्र पर न खींचें।
11. अपराधियों को उल्लंघन न करने दें, इससे प्रबंधन और शासन में विश्वास कम हो जाएगा।
12. अल्पसंख्यक होते हुए भी मछुआरों की राय एवं सुझावों को नज़रअंदाज़ न करें।
13. उथले समुद्र या जटीय क्षेत्रों में चट्टानों की स्थापना न करें।
14. संघर्ष होने की संभावना के क्षेत्रों और कमजोर क्षेत्रों में चट्टानों की स्थापना न करें।
15. समुद्री घास संस्तरों या प्रवाल झाड़ियों, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों, अभयारण्यों (सिवाय चट्टान संरक्षण के लिए हों) और औद्योगिक स्थापनाओं के पास चट्टानों की स्थापना न करें।